न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 61 / 2021 **दायर दिनांकः 13 / 12 / 2021**

उनवान

1. राजकरंता आयु 43 वर्ष पुत्री रामकरण जाति मेघवाल निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 21 / 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 101 का ख0नं0 14 का रकबा 0.42 है0, ख0 नं0 976 / 18 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.80 है0 आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया का घर पर बोलता नाम कान्ती बाई होने के कारण प्रार्थिया का नाम राजकरंता के स्थान पर कान्ती बाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र में सही नाम राजकरंता दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान पर सही नाम राजकरंता दर्ज किया जावे तथा प्रार्थिया की आयु 43 वर्ष है जो बालिग हो चुकी है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान

पर सही नाम राजकरंता दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान पर सही नाम राजकरंता दर्ज किया जावे प्रार्थिया की आयु 43 वर्ष है जो बालिग हो चुकी है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान पर सही नाम राजकरंता व नाबालिग से बालिग दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 व pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये ।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान पर सही नाम राजकरंता व नाबालिग से बालिग दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जमाबन्दी संवत 2072–75 (प्रदर्श–1) में नाबालिग कान्तीबाई पुत्री रामकरण का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र (प्रदर्श–3 ए) में प्रार्थिया का नाम राजकरंता पत्नि रामनिवास दर्ज है। आधार कार्ड (प्रदर्श–4 ए) में प्रार्थिया का नाम राजकरंता पत्नि रामनिवास दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत मेरमाचाह के दिनांक 22.11.2021 के प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2) अनुसार राजकरंता पुत्री रामकरण एवं कान्तीबाई पुत्री रामकरण दोनों नाम एक ही महिला के है। आधारकार्ड में प्रार्थिया की जन्म दिनांक 01.01.1978 अंकित है एवं प्रार्थिया का मतदाता पहचान

पत्र बना हुआ है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया वर्तमान में बालिग हो चुकी है। अतः नाबालिग से बालिग दर्ज किया जाना उचित है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 101 का ख0नं0 14 का रकबा 0.42 है0, ख0 नं0 976/18 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.80 है0 में सहखातेदार नाबालिग कान्तीबाई पुत्री रामकरण के स्थान पर राजकरंता उर्फ कान्तीबाई पुत्री रामकरण तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां